कार्यालय उपाधीक्षक, सदर अस्पताल,सुपौल।

ज्ञापांक 327 (RKS) सुपौल,दिनांक 31.01.19 /

रूचि की अभिव्यक्ति(EOI)

दिनांक 26.12.2018 को रोगी कल्याण समित,सदर अस्पताल,सुपौल की बैठक में मरीजों एवं परिजनों के आवश्यकता को देखते हुए सदर अस्पताल,सुपौल में कैन्टीन की सुविधा प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। जिस आलोक में इच्छुक संस्था/प्रोपराईटर/व्यक्ति से निबंधित डाक /स्पीड–पोस्ट से सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के अन्दर उपाधीक्षक,सदर अस्पताल,सुपौल के नाम एवं पते पर आवेदन(तकनीकी एवं वित्तीय) आमंत्रित किया जाता है।

➢ **रूचि की अभिव्यक्ति(EOI) के नियम एवं शर्ते:–**

1. संस्था का ब्योरा (व्यक्ति के लिए आवश्यकता नहीं)।
2. फुड लाईसेन्स एवं GST/PAN Card की छायाप्रति।
3. संस्था/व्यक्ति को खाली कमरा अथवा खाली जगह उपलब्ध कराया जायेगा। अस्थायी निर्माण अथवा उत्क्रमण का सारा खर्च संस्था/व्यक्ति को वहन करना होगा।
4. संस्था/व्यक्ति से एक साल का अनुबंध रोगी कल्याण समिति,सदर अस्पताल,सुपौल के द्वारा किया जायेगा। जिसे आवश्यकतानुसार अवधि विस्तार किया जा सकता है।
5. अग्रधन/सुरक्षित राशि 50,000/–रूपये का डिमाण्ड ड्राफ्ट रोगी कल्याण समिति,सदर अस्पताल,सुपौल के नाम देय होगा।
6. कैन्टीन में ब्रिकी हेतु सभी सामग्री/फल/खाद्य पदार्थ के दर का समय–समय पर अनुमोदन रोगी कल्याण समिति,सदर अस्पताल,सुपौल से कराना होगा।
7. सभी वांछित कागजातो की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति एवं डिमांड ड्राफ्ट तकनीकी आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। वित्तीय आवेदन में केवल मासिक भाड़े की राशि अंकित करना होगा। तकनीकी एवं वित्तीय आवेदन को अलग–अलग लिफाफे में सील बन्द कर स्पष्ट अंकित करते हुए एक बड़े सील बन्द लिफाफे में दोनो को डालकर भेजना होगा।
8. इच्छुक संस्था/व्यक्ति से प्राप्त आवेदन के आलोक में तकनीकी रुप से योग्य पाये जाने वाले आवेदनकर्त्ताओं का ही वित्तीय आवेदन खोला जायेगा। जिनके द्वारा मासिक भाड़े के रुप में सबसे ज्यादा राशि का भुगतान किया जायेगा, उनके चयन पर विचार करने हेतु रोगी कल्याण समिति,सुपौल को अनुशंसित किया जायेगा।

31.1.19

उपाधीक्षक,
सदर अस्पताल,सुपौल।